न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/75/2021

खालिद पुत्र आजाद जाति मेव निवासी सोमका तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर
.......प्रार्थी0

बनाम

1– रसीदन पत्नी आसू जाति मेव निवासी सोमका तहसील पहाडी
.....असल अप्रार्थी

2– जाहिद पुत्र इसमाईल
3–शहजादी पत्नी याकूव
4–जरिफन पत्नी इसन
} जाति मेव निवासी सोमका तहसील पहाडी जिला भरतपुर

5–तहसीलदार पहाड़ी जिला भरतपुर
.......तरतवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पहाडी श्री संजय गोयल व मुकदमा रसीदन बनाम राज.सरकार नं. 25/21

———————

उपस्थित :–
1–श्री पंकज कुमार अभिभाष प्रार्थी,
2–श्री हरीदत्त शर्मा अभिषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 24.5.2022**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट उपखण्ड अधिकारी पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में एस.डी.ओ. पहाडी द्वाराबार बार नजदीक तारीख पेशी दी जा रही हैं। इस बारे मे एस.डी.ओ. से कहा तो उन्होने का कहा कि इस प्रकरण का जल्दी निर्णय करना है। दिनांक 6.12.2021 को अप्रार्थी असल ने प्रार्थी को धमकी दी कि उनकी एस.डी.ओ. से बातचीत हो चुकी है, प्रार्थना पत्र का फैसला उनके हक में होगा। प्रार्थी को यकीन हो गया है कि एस.डी.ओ पहाड़ी से उसे न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। एस.डी.ओ. पहाडी से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. पहाडी से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी एक की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

मुन्त. प्रा0/75/2021
खालिद बनाम रसीदन वगे.

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि न्यायालय एसडीओ पहाडी में प्रकरण विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी पहाडी विचाराधीन दावें में व्यक्तिगत रूचि लेकर नजदीक तारीख पेशी नियत कर रहे हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी कि एसडीओ साहब से बातचीत हो गई है, विचाराधीन प्रकरण हमारे पक्ष मे फैसल होगा। प्रार्थी को एस.डी.ओ. पहाडी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थी ने गलत आरोप लगाये हैं। नजदीक तारीख देना या जल्द निर्णय करना मुकदमा को उठवाने का कोई ग्राउन्ड नहीं है। प्रार्थी की धमकी देने बाली बात मुकदमें को केवल तूल देने की गरज से की गयी है। प्रार्थी ने मुकदमा उठावाने का कोई ठोस कारण नहीं दिये हैं प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. पहाडी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी पहाडी ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है दोनों पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार पहाडी से मौका रिपोट प्राप्त की गई है, रिपोट प्राप्त होने पर दोनों पक्षकारान की बहस सुनी गई है। प्रार्थना पत्र में जो असत्य कथन किये गये हैं। एस.डी.ओ. पहाडी से प्राप्त रिपोट से स्पष्ट है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी जा चुकी है। अब नजदीकी तारीख पेशी देने का आरोप निराधार है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकली खारिज किया जाता है।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी पहाडी को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर